यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, हल्द्वानी के माह 02/2016 से 11/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों एवं श्री संजीव कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15/12/2017 से 20/12/2017 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री सुनील दत्त एवं श्री डी.के. मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 12/02/2016 से 18/02/2016 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह ..... से 01/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2016 से 11/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः संचाई खण्ड, हल्द्वानी एवं रामनगर बाढड सुरक्षा एवं नहरो का निर्माण तथा रख रखाव।
   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(में)

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2016-17	2700	4980000.00	3316410.00				
2017-18	2700	10470000.00	7458859.00				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

<u>स चव, संचाई वभाग</u>
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता
अधीक्षण अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, हल्द्वानी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। .....N/A..... का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो ‘अ’

-शून्य-

<u>भाग-दो 'ब'</u>

प्रस्तर 1 : **₹ 18.26** करोड़ की वसूली लम्बित रहना।

अधीक्षण अ भयन्ता संचाई कार्य मण्डल, हल्द्वानी के अन्तर्गत संचाई खण्ड हल्द्वानी एवं संचाई खण्ड रामनगर के अधीन कई संस्थाओं/वभागों पर वभाग का कुल 18.26 करोड़ बकाया है। ववरण निम्नानुसार था।

क्रम सं.	संस्था	ववरण	धनरा श
1.	संचाई खण्ड हल्द्वानी		
(क)	जल संस्थान	जल कर	17,88,95,959
(ख)	एच.एम.टी.	जल कर	27,56,705
2.	संचाई खण्ड रामनगर		
(क)	कोसी बैराज	कैन्टीन ठेकेदार पर देय	9,57,772
			18,26,10,436

उपरोक्त धनरा श वगत कई वर्षो से लंबित चली आ रही है यहा तक की वभाग द्वारा जल संस्थान के साथ जल कर के संबंध में कोई समझौता (अनुबंध पत्र) भी नहीं कया गया था जब क संचाई खण्ड की नहरों द्वारा संस्थान को लगातार पानी उपलब्ध कराया जा रहा था कन्तु वभाग उपरोक्तानुसार जल कर की वसूली में पूर्णतय असफल रहा।

पूछे जाने पर अधीक्षण अ भयन्ता कार्यालय द्वारा बतलाया गया क वसूली हेतु प्रयास कए जा रहे है। उत्तर मान्य नहीं था क्यों क उपरोक्त 18.26 करोड़ की वसूली वगत काफी समय से लंबित थी एवं वभाग द्वारा इस संबंध में कोई ठोस प्रयास नहीं कया गया था। अतः वभाग द्वारा 18.26 करोड़ की वसूली न कए जा सकने का प्रकरण प्रयास में लाया जाता है।

प्रस्तर 1- योजना स्वीकृति के 46 माह बाद 190.31 लाख व्यय के उपरान्त भी कार्य का अपूर्ण रहना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा केन्द्रपो षत योजना (AIBP) के अन्तर्गत निम्नानुसार दो योजनाओं हेतु कुल धनरा श 946.41 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी (जनवरी 2014)।

क्रम सं.	योजना का नाम	स्वीकृति धनरा श (लाख में)
1.	गोलाबार भावर क्षेत्र की गूलों की लाईनिंग योजना	694.31
2.	आफ वाटर वा डज के अन्तर्गत नैनीताल स्थित हरीशताल झील की सुदृढ़ीकरण की योजना	252.10
	कुल स्वीकृति योग	946.41

अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, हल्द्वानी के अ भलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2017) क उपरोक्त दोनो योजनाओं पर मार्च 2016 तक कुल व्यय 190.63 लाख व्यय के उपरान्त कार्य पर न कोई प्रगति थी और न ही उक्त योजनाओं के अनुबंधों का अंतिमीकरण कया गया था।

उक्त की ओर इं गत कये जाने पर कार्य मण्डल द्वारा उत्तर में बताया गया क केन्द्रांश की धनरा श प्राप्त न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा अन्य श्रोतो से कार्य पर आं शक भुगतान कया गया जिसके तत्पश्चात कार्य सम्पादन स्थगति कर दिया गया है एवं धनआंवटित प्राप्त होने पर ही कार्य पूर्ण कये जायेगे।

मण्डल के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है क बिना धन की उपलब्धता के ही कार्यों का अनुबंध गठित कर आं शक कार्य कराया गया जिसके पश्चात अन्य श्रोतो से धन आवंटन प्राप्त कर भुगतान कया गया। अतः योजना स्वीकृति के 46 माह बाद भी 190.31 लाख व्यय के उपरान्त न केवल योजना अपूर्ण थी, अ पतु उसके पूर्ण होने की सम्भावना भी क्षीण थी, का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर **2**- अपूर्ण योजना पर 18.60 लाख के व्यय का अलाभकारी होना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा नाबार्ड योजना (RIDF-XX) के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के व.ख. हल्द्वानी में नन्धौर नदी के चोरग लया नहर प्रणाली हेतु ट्रैच वयर एवं तत्संबंधी कार्य के निर्माण हेतु 1113.81 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी (फरवरी 2015) जिसकी तकनीकी स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु ही प्रदान की गई (अगस्त 2015)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध 895.13 लाख हेतु (04/SE/2015-16 दिनांक 16/10/2015) गठित की गई जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की ति थ 15/10/2016 थी।

अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, हल्द्वानी के अ भलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया क उक्त योजना पर (मार्च 2017 तक) 3.61 लाख एवं तत्पश्चात 14.99 लाख कुल भुगतान 18.60 लाख कया गया था (APR 11/2017) जिसके उपरान्त कार्य पर कोई प्रगति नहीं थी जब क अनुबंधानुसार अनुबंध की निर्धारित समाप्ति ति थ 15/10/2016 थी।

उक्त की ओर इं गत कये जाने पर मण्डल द्वारा उत्तर में बताया गया क नन्दौर नदी से पूर्वरेती नहर निकलती थी तथा अनबंध गठित करते समय भी कोई ववाद संज्ञान में नहीं था कन्तु बाद में NGT/वन वभाग द्वारा आप त्तया लगाई गई जिसके कारण कार्य रोकना पड़ा। भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा व धवत स्वीकृति हेतु प्रयास कये जा रहे है।

मण्डल का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्यों क मण्डल द्वारा वन वभाग की व धवत स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुबंध गठित का जाना चाहिए था। पुनः भ वष्य में स्वीकृति प्राप्त होने पर उसी लागत में कार्य पूर्ण होने की सम्भावना भी क्षीण है (SOR की दरें एवं श्रम दरों में वृद् ध के कारण)।

अतः वभागीय लापरवाही से अपूर्ण योजना पर व्यय 18.60 लाख के अलाभकारी होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
शून्य		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, हल्द्वानी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री डी.एस. कुटियाल	अधीक्षण अ भयन्ता 13/12/13 से 27/06/17
(ii)	श्री एन. एस. पतियाल	अधीक्षण अ भयन्ता 27/06/17 से अब तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

...N/A.....

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, हल्द्वानी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II